

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-53/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० श्रेया, चिकित्सा पदाधिकारी (Bond) सदर अस्पताल, बक्सर को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कड़िका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.08.2025 से 27.01.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-53/2026 - 724/17 पटना, दिनांक :- 23/06/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, बक्सर/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० श्रेया, चिकित्सा पदाधिकारी (Bond) सदर अस्पताल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।